न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा राज0

बइजलास राजेश डागा आर0ए0एस0

मु.नं. 88 / 20

निर्णय दिनांक– 15.12.2020

1. राजूलाल पुत्र बाबूलाल जाति बैरवा (चमार) निवासी उमरहेडी तहसील कनवास।
2. सत्यनारायण पुत्र बाबूलाल जाति बैरवा (चमार) निवासी उमरहेडी तहसील कनवास।
3. कमलेशबाई पुत्री बाबूलाल पत्नि परमानंद जाति बैरवा निवासी उमरहेडी हाल निवासी बिशनपुरा तहसील कनवास।
4. द्वारकीबाई पुत्री बाबूलाल पत्नि भैरूलाल जाति बैरवा निवासी उमरहेडी हाल निवासी गुंजारा।
5. सुगनाबाई पुत्री बाबूलाल पत्नि सुरेश जाति. बैरवा निवासी उमहरहेडी हाल निवासी आमली कोटा।

–वादी गण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र जगन्नाथ दत्तक पुत्र पांथु जाति बैरवा (चमार)निवासी उमरहेडी तहसील कनवास जिला कोटा।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,53 आर0टी0एक्ट

उपस्थित –

वादी की आरे से– विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया एडवोकेट।

प्रतिवादी की ओर से– श्री सुरेश कुमार गौचर एडवोकेट।

राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.01.29 15:04:31 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण ने एक वाद उक्त [illegible] के माननीय न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवा[illegible] हक घोषणा खातेदारी की डिक्री पारित फरमाई जाकर वाद पत्र [illegible] ग्राम खण्ड गांव [illegible]सरा नबंर 118 की 0.01 है0, व खसरा नबंर 119 की 2.05 है[illegible] कुल 02 किता की [illegible]0, आराजी में

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

प्रतिवादी नबंर 01 के साथ ही वादीगण को भी सहखातेदार व बराबर से हकदार घोषित किया जाकर बाबूलाल पुत्र पांथु जाति बैरवा निवासी उमरहेडी को 1/6 हिस्से तथा वादी क्रम 1 राजूलाल पुत्र बाबूलाल को 1/6 हिस्से का, वादी क्रम 02 सत्यनारायण पुत्र बाबूलाल को 1/6 हिस्से का, वादी क्रम 03 कमलेशबाई पुत्री बाबूलाल को 1/6 हिस्से का, वादी क्रम 04 द्वारकाबाई पुत्री बाबूलाल को 1/6 हिस्से का, वादी क्रम 05 सुगनाबाई को 1/6 हिस्से का, खातेदार घोषित किया जावे। तथा बाबूलाल पुत्र जगन्नाथ हटाकर बाबूलाल पुत्र पांथू दर्ज किया जावे। इसी प्रकार वाद पत्र के पेरा नबंर 01 में वर्णित ग्राम उमरहेडी की खसरा नबंर 02 की रकबा 0.25 है0, आराजी में बाबूलाल पुत्र पांथु जाति बैरवा निवासी उमरहेडी का 1/6 हिस्सा तथा वादीक्रम 01, 02, 03, 04, 05 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादी की तलवी जारी की गई। प्रतिवादी 01 की ओर से एडवोकेट श्री महावीर मेरोठा एवं श्री सुरेश कुमार गौचर ने वकालत नामा पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया साथ ही प्रतिवादी क्रम 01 ने वाद पत्र का ईकबालिया जवाब पेश कर, वादीगण का वाद स्वीकार करने व वाद पत्र में वर्णित आराजी में स्वंय को 1/6 हिस्से का तथा वादीगण 01 लगायत 05 प्रत्येक को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित कर स्वयं के हिस्से का पृथक खाता लगान कायम करने की प्रार्थना की गई। इकबालिय जवाब दावा शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण 01 लगायत 05 की ओर से एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया व प्रतिवादी नबंर 01 की ओर से श्री सुरेश गौचर व एडवोकेट श्री महावीर मेरोठा एडवोकेट ने राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा प्रस्तुत होने पर राजीनामे कों पक्षकारान को पढकर सुनाया व समझाया गया। राजीनामे को पक्षकारान द्वारा सत्य होना बताया जाकर राजीनामा में वर्णित अनुसार वादीगण प्रत्येक को वाद पत्र के पेरा नबंर 01 में वर्णित आराजी में 1/6 में तथा प्रतिवादी क्रम 01 को 1/6 हिस्सेका खातेदार कृषक घोषित करने का निवेदन किया। साथ ही खाता विभाजन किया जाने का निवेदन किया राजीनामा सही पाया जाने पर राजीनामा तस्दीक किया गया। वादी नबंर 01 लगायत 04 पहचान उनके अधिवक्त नरेन्द्र कुमार कटारिया द्वारा की गई तथा वादी नबंर 05 की ओर से राजीनामा जरिये एडवोकेट [illegible] गया। प्रतिवादी नबंर 01 की पहचान उनके अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार गौचर द्वारा [illegible] तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी एवं प्रतिवादी ने [illegible]नामा अनुसार दावा डिक्री कर विभाजन कर पृथक–पृथक खाते दर्ज करने की प्रार्थना [illegible] गई। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं सम्पूर्ण पत्रावली व राजीनामें का अवलोकन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.01.29 15:04:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

आराजी ग्राम खण्डगांव पटवार हल्का बालूहेडा तहसील कनवास की खसरा नबंर 118 की रकबा 0.01 है0, व खसरा नबंर 119 की रकबा 2.05 है0, कुल किता 02 की रकबा 2.06 है0, प्रतिवादी नबंर 01 को उसके दत्तक पिता पाथुं से प्राप्त हुयी जिसकी पुष्टि नकल जमाबंदी सम्वत 2039–42 खाता संख्या 57 की नयी व पुरानी 8 से हो रही है। तथा जो उक्त आराजी पांथू पुत्र अमरा जाति बैरवा निवासी उमरहेडी के खाते खसरा नबंर 69 की रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा दर्ज रिकार्ड है, जिसके वर्तमान खसरा नबंर मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नबंर 118 व 119 कुल रकबा 2.06 है0, दर्ज हुये हैं। उक्त आरजी पांथू के फोत होने पर इंतकाल नबंर 166 से प्रतिवादी बाबूलाल के दत्तक पुत्र होने से दर्ज हुयी परन्तु नामान्तरण संख्या 166 में बाबूलाल पुत्र पाथूं की जगह पाथूं का दत्तक पुत्र होने के बावजूद सहवन से बाबूलाल पुत्र जगन्नाथ दर्ज कर दिया है। इस प्रकार उक्त आराजी प्रतिवादी नबंर 01 की पुश्तैनी आराजी है, इस प्रकार ग्राम उमरहेडी पटवार हल्का बालूहेडा में स्थित खसरा नबंर 02 की रकबा 0.25 है0, आराजी बाबूलाल पुत्र पांथूलाल के खाते दर्ज है। उपरोक्त आराजी पुश्तैनी होने से हिन्दुउत्ताधिकार कानून के अनुसार वादीगण का 01 ता 05 का प्रतिवादी नबंर 01 के साथ बराबर–बराबर का हक व हिस्सा बनता है। तथा उनके हिस्से अनुसार मुताबिक राजीनामा खातेदारी घोषणा व विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रतिवादी नबंर 02 राज्य सरकार द्वारा भी इसमें कोई आपत्ति नहीं की है तथा घोषणा व विभाजन के मुताबिक राजीनामें में अपनी सहमति प्रदान की । ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से वादीगण का वाद इकबलिया जवाब दावा व राजीनामा के अनुसार मुताबिक राजीनामा ड्रिकी किया जाना उचित है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम खण्ड गांव पटवार हल्का बालूहेडा की खसरा नबंर 118 की रकबा 0.01 है0, व खसरा नबंर 119 की रकबा 2.05 है0, कुल किता 02 की रकबा 2.06 है0, आराजी मे मुताबिक राजीनामा वादीगण 1 लगायत 5 के सयुंक्त खाते में दर्ज की जावे तथा बाबूलाल पुत्र जगन्नाथ का नाम खाते से डिलीट किया जाये। इसी प्रकार ग्राम उमरहेडी पटवार हल्का बालूहेडा तहसील कनवास की खसरा न 2 की रकबा 0.25 है [illegible] आराजी का खातेदार बाबूलाल पुत्र पॉचू के खाते यथावत रखी जाये। तथा ग्राम [illegible] 119 कुल किता 2 की 2.06 है आराजी का खातेदार राजूलाल पुत्र बाबूलाल, [illegible]नारायण पुत्र बाबूलाल, कमलेश बाई पुत्री बाबूलाल, द्वारका बाई पुत्री बाबूलाल सुगना बाई पुत्री बाबूलाल जाति बेरवा निवासी उमरहेडी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.01.29 15:04:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

को खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त ग्राम खण्डगांव के खसरा नबंर 118 की रकबा 0.01 है0, खसरा नबंर 119 की रकबा 2.05 है0, कुल किता 02 की रकबा 2.06 है0, आराजी को बाबूलाल पुत्र जगन्नाथ जाति चमार निवासी उमरहेडी के खाते सें हटाकर वादीगण 01 लगायत 05 क्रमशः राजूलाल, सत्यनारायण, कमलेशबाई, द्वारकीबाई, सुगनाबाई के खाते दर्ज किए जाने के आदेश दिये जाते है। तथा बैक का जो रहन है वो यथावत वादीगण की आराजी पर दर्ज रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे मुताबिक राजीनामा घोषणा खातेदारी एवं विभाजन की अंतिम ड्रिकी जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.01.29 15:04:31 IST
Reason: SelfAttested

<u>**अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई**</u>

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix “D”-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास** मुकाम **कनवास**

न्यायालय बइजलास श्री राजेश डागा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

<u>**बउनवान**</u>

1 राजूलाल पुत्र बाबूलाल जाति बैरवा (चमार) निवासी उमरहेडी तहसील कनवास।।

2 सत्यनारायण पुत्र बाबूलाल जाति बैरवा (चमार) निवासी उमरहेडी तहसील कनवास।

3 कमलेशबाई पुत्री बाबूलाल पत्नि परमानंद जाति बैरवा निवासी उमरहेडी हाल निवास बिशनपुरा तहसील कनवास।

4 द्वारकीबाई पुत्री बाबूलाल पत्नि भैरूलाल जाति बैरवा निवासी उमरहेडी हाल निवासी गुंजारा तहसील कनवास।

5 सुगनाबाई पुत्री बाबूलाल पत्नि सुरेश जाति बैरवा निवासी उमहरहेडी हाल निवासी आमली तहसील लाडपुरा, कोटा।

–वादी गण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र जगन्नाथ दत्तक पुत्र पांथु जाति बैरवा निवासी उमरहेडी तहसील कनवास जिला कोटा।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास।

– प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88,89188 53 आर0टी0एक्ट</u>

मुकदमा नं. 88 / 2020 सन **2020** तारीख फैसला **15.12.2020** **न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी एडवोकेट **श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया** **वादीगण** मिनजानिब मुदई व **प्रतिवादी 01 की ओर से श्री सुरेश कुमार गोचर तथा प्रतिवादी न0 2 राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है अन्तिम डिक्री जारी की जाती है कि वादी का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम खण्ड गांव पटवार हल्का बालूहेडा की खसरा नबंर 118 की रकबा 0.01 है0, व खसरा नबंर 119 की रकबा 2.05 है0, कुल किता 02 की रकबा 2.[illegible] [illegible]मा वादीगण 1 लगायत 5 के सयुंक्त खाते में दर्ज किया जावे तथा बाबूलाल पुत्र जगन्[illegible] खाते से डिलीट किया जाये। इसी प्रकार ग्राम उमरहेडी पटवार हल्का बालू[illegible] की रकबा 0.25 है आराजी का खातेदार बाबूलाल पुत्र पॉचू के [illegible] गॉव की आराजी 118 व 119 कुल किता 2 की 2.06 है आराजी [illegible] बाबूलाल, सत्यनारायण पुत्र बाबूलाल, कमलेश बाई पुत्री बाबूलाल, द्वारका बाई पुत्री बाबूलाल सुगनी बाई पुत्री बाबूलाल जाति बेरवा निवासी उमरहेडी को खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त ग्राम खण्ड गांव [illegible] खसरा नबंर 118 की रकबा 0.01 है0, व खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.01.29 15:04:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

नबंर 119 की रकबा 2.05 है0, कुल खसरा किता 02 की रकबा 2.06 है0, आराजी को बाबूलाल पुत्र जगन्नाथ जाति चमार निवासी उमरहेडी के खाते सें हटाकर वादीगण 01 लगायत 05 क्रमशः राजूलाल, सत्यनारायण, कमलेशबाई, द्वारकीबाई, सुगनाबाई के खाते दर्ज किए जाने के आदेश दिये जाते है। तथा बैक का जो रहन है वो यथावत वादीगण की आराजी पर दर्ज रहेगा। **तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।** नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **15.12.2020** माह दिसम्बर 2020 को जारी की गई।

मोहर ....

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

मुदई		रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	....	----------NIL----------		स्टाम्प वकालतनामा	----------NIL----------	
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	....					
महनताना वकील	....			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान	....			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर	....			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुकमनामा	....			बाबत इजराय हुकमनामा		
मुतफर्रिक	....					
मीजान	....			मुतफर्रिक		
				मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.01.29 15:04:31 IST
Reason: SelfAttested